बीकानेर स्टेशन का स्थानान्तरण

1837. **श्री भंवर लाल पंवार :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बीकानेर रेलवे स्टेशन को उसके वर्तमान स्थान से स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो इसके कब तक स्थानान्तरित हो जाने की सम्भावना है और उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : जी नहीं। बीकानेर रेलवे स्टेशन को उसके मौजूदा स्थान से अन्यत्र ले जाने का रेलवे का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे स्टेशनों पर स्टाल आदि का आवंटन

1838. **श्री भंवर लाल पंवार :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे स्टेशनों पर वेन्डरों को स्टाल आदि आवंटित करने और यात्री गाड़ियों में पेन्ट्रीकार अथवा भोजनयान का ठेका देने के लिये अपनायी जाने वाली नीति या प्रतिमानों का ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : क्षेत्रीय रेलों द्वारा स्टेशनों पर खानपान/वेंडिंग स्टालों का आवंटन समाचार पत्रों के जरिये और/अथवा स्टेशन नोटिस बोर्डों पर नोटिस लगाकर आवेदन आमंत्रित करके किया जाता है। इस प्रकार जो आवेदन प्राप्त होते हैं उसकी संवीक्षा समिति द्वारा जांच की जाती हैं, जिसके लिए वरीयता क्रम इस प्रकार है :–

(1) अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां,

(2) वास्तविक कामगारों/वेंडरों की सहकारी समितियां,

(3) महिला समितियां,

(4) बेरोजगार स्नातक,

(5) स्वतन्त्रता सेनानी,

(6) अन्य

तथापि, 1/2 यूनिट तक के खानपान/वेंडिंग ठेके पूर्णतया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। जिन स्टेशनों पर व्यापक विभागीय खानपान व्यवस्था है, वहां फल और फलों के रस के स्टालों को छोड़कर खान-पान वेंडिंग का कोई ठेका आवंटित नहीं किया जाता है।

नये स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर, आमान परिवर्तन के कारण निर्मित प्लेटफार्मों को छोड़कर, बुक स्टालों के सभी नये आवंटन पूर्णतया 18 से 30 वर्ष की आयु ग्रुप वाले रोजगार स्नातकों, उनकी साझेदारियों, सहकारी समितियों, एसोसिएशनों तथा रेलवे बुक स्टालों के वास्तविक कामगारों/वेंडरों की सहकारी समितियों के लिए आरक्षित हैं।

जहां तक यात्री गाड़ियों में पेन्ट्री/भोजन यानों के नये ठेकों के आवंटन का सम्बन्ध है, वर्तमान नीति के अनुसार सामान्यतः उनकी व्यवस्था विभागीय प्रबन्ध के अन्तर्गत की जाती है।

New national highway in the Seventh Plan

1839. SHRI J. K. JAIN: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether any new projects for the construction of new national highways have been included in the Seventh Five Year Plan; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF TRANSPORT (SHRI BANSI LAL): (a) and (b) No, Sir. These is, however, a token provision of Rs. 5 crores for the development of new National Highways in the Seventhi Five Year Plan.

Leprosy in the tribal regions of Bihar

1840. SHRI RAM NARESH KUSHAWAHA: Will the Minister of HEALTH